



राजस्थान सरकार  
परिवहन विभाग

क्रमांक:- प.19(1)परि/2019

जयपुर, दिनांक:- 21-10-2019

अधिसूचना

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.5 (1) कार्मिक/ (क-1)/2019 जयपुर, दिनांक 21.09.2019 के द्वारा श्री रवि शंकर श्रीवास्तव, आई.ए.एस., का पदस्थापन राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर के अध्यक्ष पद पर किया गया है, जिसकी अनुपालना में पथ परिवहन निगम अधिनियम, 1950 (केन्द्रीय अधिनियम-64 सन् 1950) की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार एतद् द्वारा श्री रवि शंकर श्रीवास्तव, आई.ए.एस. को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि दिनांक 07.10.2019 से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का अध्यक्ष नियुक्त करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(पी.डी.पारीक)

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव जल-भूतल परिवहन मंत्रालय (परिवहन कक्ष) भारत सरकार नई दिल्ली।
6. सचिव रेल मंत्रालय (रेल्वे बोर्ड) भारत सरकार नई दिल्ली।
7. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
8. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, गृह एवं मुख्य सतर्कता आयुक्त, परिवहन, राजस्थान, जयपुर।
9. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव, परिवहन विभाग, जयपुर।
10. श्री रवि शंकर श्रीवास्तव, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
11. निजी सचिव, प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर।
12. महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर।
13. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक (क-1), शासन सचिवालय, जयपुर।
14. निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय जयपुर।
15. सचिव, राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण, जयपुर।
16. प्रबन्ध निदेशक, जेसीटीएसएल जयपुर/एसीटीएसएल अजमेर,/केसीटीएसएल कोटा/जेसीटीएसएल जोधपुर
17. समस्त निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जयपुर।
18. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय राजस्थान जयपुर।
19. वित्तीय सलाहकार राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय जयपुर।
20. विधि (कोडीफिकेशन विभाग)
21. निदेशक पेंशन विभाग राजस्थान जयपुर।
22. कोषाधिकारी, जिलाधीश/शासन सचिवालय जयपुर।
23. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव